शीतकालीन सत्र 2021

प्रलिम्सि के लयि:

संसद की बैठक की समाप्ति, स्थगन, अनश्चिति काल के लयि स्थगन, सत्रावसान और वघिटन।

मेन्स के लयि:

संसद के शीतकालीन सत्र में पारति महत्त्वपूर्ण वधियक।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संसद के शीतकालीन सत्र** को अनश्चिति काल के लयि स्थगति कर दयिा गया है (पुन: बैठक के लयि दनि नर्धारति कयि बनिा संसद की बैठक को समाप्त करना)। इस सत्र में कुछ **महत्त्वपूर्ण वधिानों को पारति** कयिा गया।

प्रमुख बदि

- **संसद की बैठक की समाप्ति:** दोनों सदनों में संसद की बैठक को निम्नलखिति प्रावधानों के द्वारा समाप्त कयिा जा सकता है:
  - **स्थगन (Adjournment)**
  - **अनश्चितिकाल के लयि स्थगन (Adjournment sine die),**
  - **सत्रावसान (Prorogation)**
  - **वघिटन (राज्यसभा के लयि लागू नहीं)**
- **स्थगन (Adjournment):** स्थगन **एक नश्चिति समय** के लयि बैठक में कामकाज को नलिंबति कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दनि या सप्ताह के लयि हो सकता है।
  - जब बैठक अगली बैठक के लयि **नयित कसिी नश्चिति समय/तथि के बनिा समाप्त हो जाती है तो इसे अनश्चितिकाल** के लयि स्थगन कहा जाता है।
  - स्थगन और अनश्चितिकाल के लयि स्थगन की शक्ति सदन के **पीठासीन अधकिारी** के पास होती है।
- **अनश्चितिकाल के लयि स्थगन:** अनश्चितिकाल के लयि स्थगन का अर्थ है अनश्चितिकाल के लयि संसद की बैठक को समाप्त करना, यानी सदन को फरि से शुरू करने हेतु कोई एक दनि नर्धारति कयि बनिा स्थगति कर दयिा जाता है, तो इसे स्थगन कहा जाता है।
  - अनश्चितिकाल के लयि स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधकिारी के पास होती है।
  - हालाँकि किसी सदन का पीठासीन अधकिारी **उस तारीख या समय से पहले या सदन के अनश्चितिकाल के लयि स्थगति होने के बाद कसिी भी समय सदन की बैठक बुला** सकता है।
- **सत्रावसान (Prorogation):.**
  - सत्रावसान शब्द का अर्थ संवधिान के अनुच्छेद **85(2)(ए)** के तहत राष्ट्रपति द्वारा दयि गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समाप्ति से है।
  - सत्रावसान **सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना** है और आमतौर पर यह पीठासीन अधकिारी द्वारा सदन को अनश्चितिकाल के लयि स्थगति करने के कुछ दनिों के भीतर कयिा जाता है।
  - राष्ट्रपति **सत्र के सत्रावसान के लयि एक अधसूिचना** जारी करता है।
  - हालाँकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकता है।
  - यह ध्यान दयिा जाना चाहयि कि **बलि पेश करने के अलावा सभी लंबति नोटसि व्यपगत** हो जाते हैं।
  - एक सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुन: समवेत होने के बीच की अवधि को **एक अवकाश** कहा जाता है।
- **वघिटन (Dissolution): जब भी कोई वघिटन होता है, तो इससे मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन होता है।**
  - हालाँकि केवल लोकसभा का वघिटन हो सकता है राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण वघिटति नहीं हो सकती है।

संसद के सदनों द्वारा पारति कुछ महत्त्वपूर्ण वधियक:

- **कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021:** किसानों के विरोध को देखते हुए निम्नलिखित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिये विधेयक पेश करके पारित किया गया:
    - मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता
    - किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
    - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
- **बाँध सुरक्षा विधेयक, 2021:** यह बाँध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिये निर्दिष्ट बाँध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
    - यह उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक, 2021**: यह **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण,** दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।
    - इसने राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की भी परिकल्पना की।
- **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021:** यह देश में **सरोगेसी सेवाओं के नियमन का प्रावधान** करता है।
    - यह सरोगेट माताओं के संभावित शोषण को रोकता है तथा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021: **यह स्पष्टता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान होंगे।**
    - इसने एक केंद्रीय निकाय की भी स्थापना की, जिसे औषधीय शिक्षा और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव आदि के समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये परिषद कहा जाएगा।
- **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021:** यह स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पाने के हकदार कब होते हैं।
- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021:** बिल अधिनियम की **धारा 27ए** में प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिये इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापित एक अध्यादेश की जगह लेगा।
- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021:** यह केंद्रीय जाँच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच साल पूरे नहीं हो जाते।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021:** यह प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाते।
- **चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021:** यह विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिये मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/winter-session-2021